



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



1 कार्तिक 1946 (श०)

संख्या - 34 राँची, बुधवार

23 अक्टूबर, 2024 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 490-499 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 —भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9 —विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक — ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

HOME PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION7th October, 2024

Memo No.-10/C.B.I.-430/2024-5837--In exercise of the powers conferred under section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) H.E. the Governor of Jharkhand has been pleased to accord consent to the extension of powers and jurisdiction to the member of Delhi Special Police Establishment upon request made via letter number 421/CO-13/2024, dated 24.09.2024 of Head of Branch, CBI, ACB, Dhanbad for registration of regular case against an official of CCL, Kathara Area, Bokaro for the offence punishable under section 7, u/s Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018) and any other offence that may come to light during investigation of this case, including any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with one or more such offences and/or any other offences(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

By order of the Governor of Jharkhand.

Umashankar Prasad Pal,

Under Secretary to Government.

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

14 अक्टूबर, 2024

1. संख्या-16/थाना-09/2024-5808--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-2 की उप-धारा (यू) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा अधिसूचना के निर्गत की तिथि के प्रभाव से राँची जिलान्तर्गत 04 यातायात थानों 'खेलगाँव, पण्डरा, डेलीमार्केट तथा डोरण्डा यातायात थाना' के सृजन की घोषणा करती है। उक्त थाना का क्षेत्राधिकार निम्नवत् होगी:-

क०	यातायात थाना	कार्य क्षेत्र
1	खेलगाँव यातायात थाना	खेलगाँव चौक, बी.आई.टी. मेसरा चौक, विकास चौक, ओरमांझी चौक, टाटीसिल्वे चौक, कोकर चौक।
2	पण्डरा यातायात थाना	पिस्का मोड़, तिलता चौक, काठीटांड चौक, कटहल मोड़, दलादली चौक एवं लालगुटुवा ब्रीज।
3	डेलीमार्केट यातायात थाना	रतन पी०पी०, उल हाउस, काली मंदिर, सरजना चौक, मिशन चौक, प्लाजा चौक, फिरायालाल चौक, शहिद चौक, सुजाता चौक, रेडियम चौक, रेडियम रोड से एस०एस०पी० आवास चौक के पहले तक, एस०बी०आई० मेन ब्रांच, शिव मंदिर कटिंग तक एवं अपर बाजार।
4	डोरण्डा यातायात थाना	राजेन्द्र चौक, जैप-1 कमांडेन्ट आवास मोड़, नेपाल हाउस. घाघरा ब्रज, देवेन्द्र मांझी चौक, कडरू कटिंग से सहजानन्द चौक से पहले तक, पुराना हाई कोर्ट, मेकन चौक, ए०जी० मोड़, पी०ए० मोड़, जेवियर मोड़, हिन्नु चौक, एयरपोर्ट एवं बिरसा चौक।

2. संख्या-16/थाना-09/2024-5809--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-2 की उप-धारा (यू) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा अधिसूचना के निर्गत की तिथि के प्रभाव से लातेहार जिलान्तर्गत चंदवा थाना के ग्राम 'बेतर में पुलिस आउट पोस्ट' के सृजन की घोषणा करती है। उक्त थाना का क्षेत्राधिकार निम्नवत् होगी:-

क्र०स०	ओ०पी० का नाम	श्रेणी	कार्यक्षेत्र	
			पंचायत का नाम	गाँव का नाम
1	बेतर ओ०पी०	ग्रामीण ओ०पी०	बरवाटोली	बेतर, रोहुम, मुड़मा, बेलंगा, जमुआरी, हेसलौंग, टाटा, रूद, बरवाटोली एवं चिलदिरी
			लाधुप	लाधुप, आरा, कुदरा, गोली, दुधीमाटी, बेलगडा, पीरदाग, सेन्हा, हेसला एवं मनातु

3. संख्या-16/थाना-09/2024-5810--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-2 की उप-धारा (यू) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा अधिसूचना के निर्गत की तिथि के प्रभाव से सिमडेगा थाना के सेवई एवं पिथरा पंचायत एवं मुफ्फसिल थाना के तामड़ा पंचायत हेतु कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण की घोषणा निम्नवत् करती है:-

जिला	पंचायत	राजस्व ग्राम	वर्तमान थाना	थाना जिससे संबद्ध किया जाता है।
सिमडेगा	सेवई	सेवई एवं सनसेवई	सिमडेगा थाना	मुफ्फसिल थाना
	पिथरा	पिथरा, रिगड़ी, गुल्डा, मेरोमलोया, बड़कीछापर, जमुनाखैर, तुमडेगी एवं सेमरबेड़ा	सिमडेगा थाना	मुफ्फसिल थाना
	तामड़ा	चिकसुरा, तभाडीह, तामड़ा, कामतारा, कोनसेरा एवं डाडगुरदा	मुफ्फसिल थाना	सिमडेगा थाना

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राधेश्याम प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

13 सितम्बर, 2024

सं०सं०-04/नि०सं०-12-22/2020 का. 5853--श्रीमती अमृता अरशी झांप्र०से० (षष्ठम बैच), प्रशासी पदाधिकारी, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 732/वि० दिनांक 14.03.2024 के आलोक में दिनांक 12.09.2024 से 01.10.2024 तक (कुल 20 दिन) का शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव।

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)

संकल्प

7 अक्टूबर, 2024

विषय:- साहेबगंज जिला में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा नीति के अंतर्गत Domestic Airport व Air Cargo Hub के निर्माण तथा इसके लिये कुल चिन्हित 443.32 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण की स्वीकृति ।

सं- CAD Sec1/01-Plan-22/2021/Cabinet/586--वर्तमान समय में विमानन क्षेत्र में विकास को गति प्रदान करने के लिए passenger तथा goods का आवागमन सुगम बनाने एवं गतिशीलता प्रदान करने हेतु Air connectivity की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय नागर विमानन नीति-2016 का उद्देश्य भी छोटे शहरों तक सस्ती वायु परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है ।

- 2- माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक-07.04.2022 को संपन्न समीक्षा बैठक में यह निर्णय हुआ है कि प्राथमिकता के आधार पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में छोटे वायुयानों के संचालन हेतु हवाई पट्टी विकसित करने की संभावना की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाय ।
- 3- साहेबगंज जिला झारखंड राज्य की राजधानी से सुदूरभाग में प. बंगाल एवं बिहार के उत्तरी-पूर्व सीमा पर अवस्थित है। संथाल परगना क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम विकसित जिला होने के कारण राज्य सरकार विभिन्न आधारभूत संरचनाओं के विकास के माध्यम से इसे मुख्यधारा में जोड़ने के लिये प्रयासरत है। भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टिकोण से साहेबगंज, फरक्का बाँध के निकट एवं बंगलादेश तथा चीन से कम दूरी पर अवस्थित है, ऐसे में यहाँ हवाई अड्डा होना भारतीय वायुसेना के लिये भी सहायक हो सकता है ।
- 4- इस प्रकार संथाल परगना प्रक्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये तथा सामरिक दृष्टिकोण से भी साहेबगंज जिला में एक नियमित Domestic हवाई अड्डा का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। साहेबगंज में स्थित हवाई अड्डा का निर्माण A-320 विमान के परिचालन को दृष्टिपथ रखते हुए आधारभूत संरचना विकसित करने का लक्ष्य एवं प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस हवाई अड्डा के होने से बिहार एवं प. बंगाल के निकटवर्ती क्षेत्र के लोगों को भी देश के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ा जा सकेगा। साथ ही राजधानी राँची से वायुमार्ग की सुविधा सुगम हो सकेगी ।
- 5- उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में साहेबगंज जिला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति के अंतर्गत Domestic Airport सहित Cargo Hub के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है ।

- 6- उपायुक्त, साहेबगंज (पत्रांक-551, दिनांक-09.07.2024 के माध्यम से) द्वारा **साहेबगंज जिला में हवाई अड्डा के निर्माण** हेतु मौजा-हाजीपुर भीठा/दियारा असर्वेक्षित मौजा, थाना नं.-18 में कुल 443.32 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इस चिन्हित भूमि का पूर्वव्यवहार्यता अध्ययन (Pre-feasibility Study) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से करवाया जायेगा ।
- 7- साहेबगंज जिला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति के अंतर्गत Domestic Airport सहित Cargo Hub के निर्माण हेतु तत्काल पूर्वोक्त चिन्हित 443.32 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण हेतु आवश्यक राशि की गणना कर इसका उपबंध आगामी अनुपूरक/बजट में किया जायेगा। **प्रस्तावित योजना पर होने वाले व्ययभार का आकलन करते हुए एनियमानुसार सक्षम प्राधिकार एवं वित्त विभाग से सहमति प्राप्त की जाएगी ।**
- 8- उपर्युक्त प्रस्ताव से संबंधित विभागीय संलेख ज्ञापांक-572, दिनांक-27.09.2024 पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक-27.09.2024 को संपन्न बैठक के मद संख्या-46 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)

संकल्प

26 सितम्बर, 2024

विषय:- राज्य के VIP/VVIPs के सरकारी उड़ान कार्यक्रम हेतु छः (06) माह के लिए एक **Single Engine Bell 407 Helicopter/समकक्ष श्रेणी तथा 01 Turbo Prop Twin Engine B-250/B-200 GT** विमान की सेवा, विभाग द्वारा अनुमोदित दर पर, **M/s Redbird Airways Pvt. Ltd, New Delhi** से मनोनयन के आधार पर सेवा प्राप्त करने के संबंध में ।

सं.-ना.वि.-VIII-03/2024/567--राज्य के विशिष्ट/अतिविशिष्ट व्यक्तियों के सरकारी उड़ान भ्रमण कार्यक्रम को संपादित करने हेतु **वर्तमान में राज्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर** राज्य के माननीय मंत्रिगण/वरीय पदाधिकारियों के भ्रमण कार्यक्रम एवं राज्य हित में चालू **योजनाओं के अल्प समय में समीक्षा, अनुश्रवण एवं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के संचालन हेतु एक Single engine helicopter तथा एक Turbo Prop Twin Engine विमान की आवश्यकता महसूस की गई है** तथा इसकी व्यवस्था तत्काल छः (06) माह के लिए की जाएगी ।

2. उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेतु विभाग के माध्यम से वर्तमान में चार्टर दर पर हेलिकॉप्टर Bell-429 की सेवा उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही आगामी 01 वर्ष के लिए लीज पर Twin engine हेलिकॉप्टर की सेवा प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है जिसे सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत माननीय मुख्यमंत्री महोदय/Exclusive VVIP के उपयोग हेतु स्थायी रूप से इसकी सेवा उपलब्ध करायी जाएगी जो सिर्फ VVIP movement तक ही सीमित रहेगा।
3. इस प्रकार माननीय मंत्रिगण तथा राज्य के अन्य वरीय पदाधिकारियों के भ्रमण कार्यक्रम हेतु विभाग के पास वर्तमान में कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ज्ञातव्य हो कि अन्य राज्यों यथा- बंगाल/ उड़ीसा/महाराष्ट्र/गुजरात/राजस्थान इत्यादि में उनके नागर विमानन मंत्रालय के अधीन 03 से 04 चार्टर वायुयान के साथ-साथ चार्टर हेलिकॉप्टर की भी व्यवस्था है, जिसका उपयोग माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त अन्य मंत्रिगण एवं पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। अतएव झारखण्ड राज्य में भी ऐसी व्यवस्था लागू होने पर अल्पावधि में ही सरकारी भ्रमण कार्यक्रम का निष्पादन सुगमतापूर्वक किया जाना संभव हो सकेगा। उल्लिखित कारणों के फलस्वरूप संभावित आवश्यकताओं को दृष्टिपथ रखते हुए एतत्काल छः (06) माह हेतु स्थायी तौर पर एक Single engine Bell 407 helicopter/**समकक्ष श्रेणी तथा एक Turbo Prop Twin Engine B-250/B-200 GT विमान** की सेवा प्राप्त की जाएगी।
4. उपरोक्त के आलोक में विभाग द्वारा एक Single engine Bell 407 helicopter/**समकक्ष श्रेणी तथा एक 2+5 Seater Turbo Prop Twin Engine B-250/B-200 GT विमान** की सेवा प्राप्त करने हेतु अनुमोदित दर (Annexure-A के रूप में संलग्न) के आधार पर उक्त aircrafts की सेवा प्राप्त की जाएगी।
5. इस हेतु empanelled agency, M/s Redbird Airways Pvt. Ltd, New Delhi से प्राप्त consent letter द्वारा विभाग द्वारा वर्ष, 2022 में अनुमोदित दर पर एक Single engine Bell 407 helicopter/**समकक्ष श्रेणी** की सेवा 50 घंटे प्रतिमाह की न्यूनतम उड़ान गारंटी (Minimum Assured Flying) तथा एक Turbo Prop Twin Engine aircraft B-250/B-200 GT की सेवा 60 घंटे प्रतिमाह की न्यूनतम उड़ान गारंटी के आधार पर उपलब्ध कराने की सहमति प्राप्त है जिसपर निम्नरूपेण व्यय संभावित है:-

Sl. No.	Aircraft Type	Minimum flying Guarantee (In Hrs.)	Approved Rate Per Hour (Excluding GST)	Total Monthly Charge (Excluding GST)	Total Charge for Six Month (Excluding GST)
1.	Single engine Bell 407 helicopter	50	Rs. 1,25,000/-	Rs. 62,50,000/-	Rs. 3,75,00,000/-
2.	Turbo Prop Twin Engine B-250/B-200 GT Aircraft	60	Rs. 1,60,000/-	Rs. 96,00,000/-	Rs. 5,76,00,000/-
Total Charge					Rs. 9,51,00,000/-

6. इस प्रकार एक Single engine Bell 407 helicopter/समकक्ष श्रेणी तथा एक 2+5 Seater Turbo Prop Twin Engine B-250/B-200 GT विमान की सेवा प्राप्त करने के एवज में कुल ₹₹ 9,51,00,000/- (नौ करोड़ इक्यावन लाख रुपये) मात्र (GST अतिरिक्त) का व्यय संभावित है जिसका भुगतान स्थापना व्यय मुख्य "ाीर्श-2070 के अंतर्गत इकाई-41-मोटर वाहन (विपत्र कोड-08S20700011401000441) में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि से किया जाएगा।
7. वर्णित स्थिति में वित्त नियमावली के नियम-235 को षिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर राज्य के VIP/VVIPs के सरकारी उड़ान कार्यक्रम हेतु तत्काल छः (06) माह के लिए एक Single Engine Bell 407 Helicopter/समकक्ष श्रेणी तथा एक Turbo Prop Twin Engine B-250/B-200 GT विमान की सेवा M/s Redbird Airways Pvt. Ltd, New Delhi से विभाग द्वारा अनुमोदित दर (Annexure-A के रूप में संलग्न) के अनुसार प्राप्त किया जाएगा। अतः संबंधित प्रस्ताव एवं छः माह हेतु इस पर होने वाले कुल ₹. 9,51,00,000/- (नौ करोड़ इक्यावन लाख रुपये) मात्र (GST अतिरिक्त) का अनुमानित व्यय होगा।
8. उपर्युक्त प्रस्ताव पर विभागीय संलेख ज्ञापांक-541, दिनांक-20.09.2024 के क्रम में मंत्रिपरिषद् की दिनांक-20.09.2024 को संपन्न बैठक के मद संख्या-34 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)

अधिसूचना

2 जुलाई, 2024

ज्ञापांक-ना.वि.-47/02-390--राज्य सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग) के अंतर्गत स्थायी रूप से कार्यरत उड़ान अनुदेशक (ग्लाइडर)/उड़ान अनुदेशक प्रभारी (ग्लाइडर) के विशेष भर्तों के प्रस्ताव से संबंधित विभागीय संलेख ज्ञापांक-131, दिनांक-22.02.2024 पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक-29.02.2024 को संपन्न बैठक के मद संख्या-12 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

2. तत्संबंधित संकल्प विभागीय ज्ञापांक-ना.वि.-47/02-157, दिनांक-06.03.2024 के माध्यम से निर्गत है, जिसमें नागर विमानन प्रभाग के अंतर्गत स्थायी रूप से कार्यरत उड़ान अनुदेशक (ग्लाइडर)/उड़ान अनुदेशक प्रभारी (ग्लाइडर) को निम्नवत् विशेष भर्ते की स्वीकृति प्रदान की गई है:-

क्र. सं.	भत्ते का प्रकार	भत्ता (रु. में)
1	Special Flying Allowances (For fixed 35 Hrs. of flying per month)	1,000/- प्रति घंटा
2	Flight Instructor Rating Allowances (Per Month)	1,000/-
3	Radio Telephone License Allowances (Per Month)	1,000/-
4	Single Engine Aircraft Allowances (Per Month)	500/-
प्रतिमाह कुल रु.		37,500/-

3. इन विशेष भत्तों का लाभ संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी है ।

4. उपर्युक्त स्वीकृत दरों के लागू होने के फलस्वरूप कैप्टन सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, उड़ान अनुदेशक प्रभारी (ग्लाइडर)-सह-निदेशक संचालन, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड को उनके मासिक वेतन के अतिरिक्त प्रतिमाह अधिकतम राशि रु. 37,500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र वेतन मद से भुगतते करने पर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

5. यह स्वीकृति विभागीय संकल्प जापांक-157, दिनांक-06.03.2024 के आलोक में प्रदत्त है। उपर्युक्त उल्लेखित विशेष भत्तों का लाभ प्रासंगिक संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

6. उपरोक्त पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

शंकर एक्का,
सरकार के उप सचिव ।
